हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी / विपक्षी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 30.9.25 को पेश हो।	
30.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्यव्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 16.10.25 को पेश हो।	
16-10-25	पत्रावली [redacted] S.D.O सा. कैम्प मे पधारे है। उभय पक्ष उप. [redacted] पुर्वानुसार [redacted] 6-11.25 [redacted]।	
6-11.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 20.11.25 को पेश की जावे	
20-11-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: मजिद बहस सुनी गई प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी),बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज.
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 42 / 2023

भगवानलाल गोदीपुत्र देवीलाल गुर्जर निवासी चौसला तह0 बेगूं.
प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामूबाई पत्नि देवीलाल गुर्जर निवासी चौसला तह0 बेगूं.
2. श्रीमती कमली पुत्री देवीलाल गुर्जर निवासी चौसला तह0 बेगूं.
3. रतनलाल पिता मदनलाल गुर्जर निवासी चौसला तह0 बेगूं.
4. रमेश पिता मदनलाल गुर्जर निवासी चौसला तह0 बेगूं.
5. सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :– 20.11.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि उक्त अनवान का एक वादपत्र प्रार्थी वादी की ओर से न्यायालय आप में पेश किया है उसके निर्णय में समय लगने की संभावना है। यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 1 से 4 व अन्य प्रतिवादीगण एक ही मूलपुरुष के वारिसान होकर प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 1 से 4 व अन्य प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्नुनसार है :–

अर्जुन मृत

नन्दा पुत्र — उदयलाल पुत्र — भंवरलाल पुत्र, भगवानलाल गोदगया देवीलाल

किशोर पुत्र — मदनलाल पुत्र पुत्र, देउ पत्नि — रमेश पुत्र, रतन पुत्र, हरकूबाई पत्नि

देवीलाल पुत्र — भगवानलाल गोदीपुत्र, कमली पुत्री, रामूबाई पत्नि

यह कि प्रार्थी के गोदी पिता एवं विपक्षी सं0 1 व 2 के पिता व पति देवीलाल पिता अर्जुन लाल व विपक्षी सं0 3 व 4 अन्य प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा चौसला पटवार हल्का मोतीपुरा की जमाबंदी संवत 2078–82 की खाता संख्या 3 में निम्न कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
3	213	0.20
	217	0.04
	218	0.744
	228	0.13
	229	0.25
	235	0.27
	236	0.41
	24	0.44
	241	0.25
	245	0.02
	57	0.21
	69	0.23
	कीता–12 कुल रकबा	3.24 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि विवादित आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित है, प्रार्थी के गोदी पिता व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पति व पिता स्व0 देवीलाल व अन्य विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की रही है प्रार्थी को खातेदार देवीलाल ने अपने नर संतान नहीं होने से जाति रस्म रिवाज अनुसार देवीलाल व उसकी पत्नि रामूबाई विपक्षी सं0 1 ने मिलकर दिनांक 02.05.2014 को समाज व रिश्तेदारान के समक्ष अपना गोदपुत्र कायम किया व गोद के पताशे बांटे व समाज पंचो के समक्ष देवीलाल ने भोजराज पिता गोडा गुर्जर निवासी राजगढ़ से गोदनामा निष्पादित करवाया। उक्त गोदनामे पर देवीलाल स्वयं के व अपनी पत्नि विपक्षी सं0 1 के सहमति के रूप में अंगुठा निशानी की , व समाज के पंचो के भी हस्ताक्षर कर्ता प्रार्थी के संरक्षक पिता उदयलाल को रिपुर्द किया। तभी से प्रार्थी अपनी 13 वर्ष की उम्र से देवीलाल का गोदीपुत्र होकर देवीलाल व देवीलाल की पत्नि रामूबाई के साथ अपने माता पिता मानते हुए निवास करता चला आ रहा है। दोनो की सेवा चाकरी करते हुए स्व देवीलाल की सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व देवीलाल का कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो जाने से देवीलाल के समस्त क्रियाकर्म प्रार्थी के द्वारा सम्पादित किये गये व समाज व रिश्तेदारान ने स्वर्गीय देवीलाल की पगडी प्रार्थी को गोदी पुत्र होने से बंधायी थी व प्रार्थी ही विपक्षी संख्या 1 की सेवा चाकरी करते हुए देवीलाल की विरासत पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे स्वर्गीय देवीलाल की विरासत जरिये गोदीपुत्र व विपक्षी संख्या 1 व 2 की घोषित कराये जाने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी के गोदी पिता स्व0 देवीलाल का 1/3 संयुक्त हक हिस्सा निहित है। देवीलाल का स्वर्गवास हो जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2 अन्य विपक्षीगण के वहकावे में आकर स्वर्गीय देवीलाल की विरासत अपने नाम दर्ज करा प्रार्थी को विवादित कृषि आराजीयात से वेदखल कर विवादित कृषि आराजीयात का हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे विपक्षी 1 व 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हो जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है।

यह कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति अ्रकी जिसका मूल्यांकन किया जाना कतई संभव नहीं होगा। इसलिए न्याय साम्य सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होकर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतःश्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पक्ष प्राथ्री विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें न ही विवादित कृषि आराजीयात अपने नाम दर्ज करावें। न आराजीयात का हस्तान्तरण ही करे न किसी अन्य से करावे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमावे। अन्य दाद जो बहक प्रार्थी हो प्रदान करायी जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 तक को जरिये सम्मन तलब किया गया विपक्षी संख्या 1 से 4 तक की ओर से मूल वाद पत्रावली में अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार से प्रस्तुत किया है:—

1— यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान में वाद पेश होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। किसी प्रकार का समय लगने की संभावना नहीं है। वादी ने किस आधार पर वाद को प्रथम दृष्टया माना है स्वयं सिद्ध करें।

2— यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 मे अंकित सजरा अस्वीकार है।

3— यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में आराजी दर्ज रेकार्ड होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है।

4— यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है, वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया है। प्रार्थी कभी स्व.देवीलाल के गोदपुत्र के रूप में नहीं रहा है स्व. देवीलाल जीह कोई पुत्र संतान नहीं होने एवं स्व. देवीलाल जी की आराजी पर कब्जा कर अपने नाम दर्ज कराने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र गोदपुत्र बनकर श्रीमान के समक्ष पेश किया है। कोई भी गोदनामा स्व. देवीलला ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं करवाया है, प्रार्थी ने कपोल कल्पित कथन अंकित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र मात्र स्व. देवीलाल की भूमि को हडपने की गरज से पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। स्व. देवीलाल के हक पांति की भूमि पर आज भी प्रतिवादीया 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थी का न तो कभी कब्जा रहा है और न कभी काश्त ही की है। स्व. देवीलाल के हक हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण 1 व 2 अपने नाम दर्ज कराने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी कोई अधिकार स्व. देवीलाल जी के हक हिस्से की जमीन में नहीं रखता है। प्रतिवादीगण 1 व 2 को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में अपने आपको स्व.देवीलाल का गोदपुत्र बताते हुए प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। किसी प्रकार की घोषणा प्रार्थी अपने नाम कराने का अधिकारी नहीं है।

5— यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है जब कभी स्व. देवीलाल की हक हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त ही नहीं रहा है तो हक हिस्स कहा से उत्पन्न हो गया है। मनगढन्त एवं झूठे कथन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। प्रार्थी के मन में बदनियति आ जाने से उसने अपने आपको स्व. देवीलाल जी का गोदपुत्र बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रार्थी नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यदि हम प्रतिवादीगण को पाबंद कर दिया गया तो हमे अपूरणीय क्षति होगी प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। कब्जा काश्त हम प्रतिवादीगण का होने से सुविधा संतुलन हमारे पक्ष में है एवं प्राथम दृष्टया प्रकरण भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग हम प्रतिवादीगण का होने से हमारे पक्ष में सिद्ध है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7,8,9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई, बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए प्रार्थी को दत्तक पुत्र बताते हुए मूल के निस्तारण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। बहस में अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब अनुसार ही बहस करते हुए कहा है कि मृतक देवीलाल की पत्नि व पुत्री को गोदपुत्र की जानकारी नहीं है, मृत्यु के अवसर पर पगडी दस्तुर प्रार्थी के पक्ष में होना व प्रार्थी द्वारा सेवा किया जाना गलत है। फोटो से गोदपुत्र होना सिद्ध नहीं होता है, पत्रार्थी के पास उनके प्राकृतिक (मूल पिता) की सम्पति नाम अंकित है। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित करते हुएप्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, दस्तावेज के अवलोकन एवं उनके गुणावगुण के अनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन विन्दुओं पर निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला :–

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा चौसला प0ह0 मोतीपुरा की कृषि आराजी संख्या 213, 217, 218, 228, 229, 235, 236, 24, 241, 245, 57, 69 कीता–13 कुल रकबा 3.2460 हैक्टर भूमि में प्रार्थी भगवानलाल पुत्र उदयलाल का हिस्सा 1/6 अन्य सहखतोदारान के साथ साथ दर्ज अकित है। तथा मृतक देवीलाल पुत्र उरजा हिस्सा 1/3 दर्ज है, मृतक देवीलाल की पत्नि रामूबाई व पुत्री कमली का नाम देवीलाल की विरासत से उक्त भूमि के हिस्से में लगना चाहिए, क्यो कि प्रार्थी को उनके प्राकृतिक पिता उदयलाल की भूमि का हिस्सा 1/6 पूर्व से ही प्राप्त होकर खातेदार है। प्रार्थी का कथन है कि उनको देवीलाल व उनकी पत्नि ने गोद लिया था, लेकिन देवीलाल की पत्नि ने अपने जवाब में इस तथ्य अस्वीकार किया है, साथ ही जो फोटो कियाकर्म के प्रार्थी ने लगाये है वह देवीलाल के लिए किया गया कियाकर्म है यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रस्तुत आधार कार्ड में भी प्रार्थी भगवानलाल पुत्र उदयलाल के नाम का प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र उनके गोदपुत्र होने को लेकर प्रस्तुत कर मृतक देवीलाल की कृषि भूमि के लिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जबकि वर्णित कृषि भूमि संयुक्त सहखातेदारान की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें सहखातेदारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है, क्यो कि अविभाजित कृषि आराजीयात की प्रत्येक इंच भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा होता है , किसी भी हिस्सा विशेष के लिए विभाजन से पूर्व किस सहखातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रार्थी ने जो इकरार नामा/लिखतम प्रस्तुत किया है उसमे देवीलाल द्वारा उन्हें गोद रखे जाने का अंकन किया हुआ है, लेकिन यह खत इकरारनामा है ना कि गोदनामा है, और कानूनन यदि गोदनामा भी माना जाता है तो कानूनन गोदनामा पंजीकृत नहीं है, जिस पर कानूनन विचार किया जाना न्यायहित में नहीं होगा। प्रार्थना में दर्शाये गये सजरे अनुसार रामूबाई व कमला देवीलाल के वारिस है जिनका अधिकार इस कृषि भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ 1/3 हिस्से दर्ज कराने का अधिकार विपक्षीगण का होता है। इस प्रकार प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होता है।

2– सुविधा का संतुलन :–

जैसा कि नकल जमाबंदी मौजा चौसला प0ह0 मोतीपुरा की कृषि आराजी संख्या 213, 217, 218, 228, 229, 235, 236, 24, 241, 245, 57, 69 कीता–13 कुल रकबा 3.2460 हैक्टर भूमि में प्रार्थी भगवानलाल पुत्र उदयलाल का हिस्सा 1/6 अन्य सहखातेदारान के साथ साथ दर्ज है, तथा देवीलाल पुत्र अर्जुन का हिस्सा 1/3 दर्ज है, यानि देवीलाल के हिस्से की भूमि को प्रार्थी भगवानलाल गोदपुत्र होने के कारण अपने कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि होना बताते है लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थी का गोदपुत्र होना अस्वीकार किया है तथा ना ही भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का नहीं होना व उपयोग उपभोग देवीलाल की पत्नि रामूबाई व पुत्री कमला का होना अंकित किया है, प्रार्थी द्वारा उनके कब्जे काश्त के लिए ऐसा कोई ठोस सबूत अथवा अन्य किसी गवाह के रूप में कोई शपथ पत्र आदि पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी का उनके प्राकृतिक पिता की कृषि भूमि में 1/6 हक से नाम दर्ज है जिस पर वे काबिज है। देवीलाल की कृषि भूमि में उनका कोई नाम दर्ज नही है ना ही कोई कब्जा सिद्ध है ऐसी स्थिति में किस प्रकार से प्रार्थी को क्षति होती है यह तथ्य प्रार्थी सिद्ध नहीं करा सके है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध; नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

– अपूर्णनीय क्षति :–

नकल जमाबंदी मौजा मौराला प0स0 गोवीपुरा की कृषि आराजी संख्या 213, 217, 218, 228, 229, 235, 236, 24, 241, 245, 57, 69 कीता–13 कुल रकबा 3.2400 हैक्टर भूमि में प्रार्थी भगवानलाल पुत्र उदयलाल का हिस्सा 1/6 अन्य खातेदारान के साथ साथ दर्ज है, प्रार्थी का देवीलाल की कृषि भूमि में नाम दर्ज नहीं है, ना ही देवीलाल की कृषि भूमि मे प्रार्थी का कब्जा काश्त होना या प्रार्थी द्वारा देवीलाल की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करना सिद्ध हुआ है तो प्रार्थी को किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होगी यह तथ्य सिद्ध नही हुआ है जबकि राजस्व अनुसार देवीलाल की पत्नि विपक्षी सं0 1 रामू व उनकी पुत्री कमला विपक्षी संख्या 2 देवीलाल की कृषि भूमि में विरासत से अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है, यदि उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही मृतक देवीलाल के वारिसान विपक्षी को आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु प्रतिपादित तीनों मुख्य बिन्दुओं को प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ